भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1958

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

कोयला खानों का बंद होना

1958. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

डा. अमी याज्ञिक:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आगामी चार वर्षों में 30 कोयला खानों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को अस्थायी रोजगार या मुआवजा प्रदान करने की कोई संधारणीय योजना है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे श्रमिकों को उनकी आजीविका और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए मुआवजा देने और पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास 30 कोयला खानों को बंद किए जाने के बाद तापीय विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता और बढ़ती मांग के बीच अंतर को पाटने की कोई ठोस योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ख) : कोयला खानों के बंद होने पर कोयला कंपनियों (कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड) की सेवाओं से किसी भी कामगार की छंटनी नहीं की जाती है। कामगारों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ, उनके प्रभावी उपयोग के लिए अन्य इकाइयों/प्रतिष्ठानों में पुन:स्थापित/स्थानांतरित किया जाता है।

(ग) : देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति से पूरी होती है। सरकार का ध्यान कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को खत्म करने पर है। वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान जून, 2023 तक घरेलू कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की

तुलना में 8.51% से अधिक बढ़ गया है। देश को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. सीआईएल की बंद की गई खानों को राजस्व शेयरिंग आधार पर फिर से शुरू करना और एमडीओ के माध्यम से सीआईएल की खानों का परिचालन।

vi. कोल इंडिया लिमिटेड अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों (एमपीटी) मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) को जहां भी व्यवहार्य हो, अपना रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने परित्यक्त/बंद की गई खानों की उपलब्धता को देखते हुए बड़ी संख्या में कार्यरत हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी परिकल्पना की है। कोल इंडिया लिमिटेड बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों जहां भी व्यवहार्य हो, की योजना भी बना रही है।

vii. कोल इंडिया लिमिटेड के पास इसकी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, पहले से ही इसकी उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपर और सरफेस माइनर्स में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

viii. सीआईएल की 7 मेगा खानों में पायलट पैमाने पर डिजिटाइजेशन का कार्यान्वयन, जिसे आगे भी दोहराया जाएगा।

ix. एससीसीएल ने 67 मि.ट. के वर्तमान स्तर से वर्ष 2023-24 तक 75 मि.ट. उत्पादन करने की योजना बनाई है। नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नई परियोजनाओं के कार्यकलापों की प्रगति और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालनों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

****